नगर पालिक निगम देवास

वर्ष 2025–26 में निगम कार्यालय व निगम स्वामित्व के भवन में लगे Split/Cassette/Duct AC के वार्षिक संधारण व सामग्री क्रय कर स्थापित किये जाने हेतु एजेंसी इंपेनलमेंट करने के संबंध में।

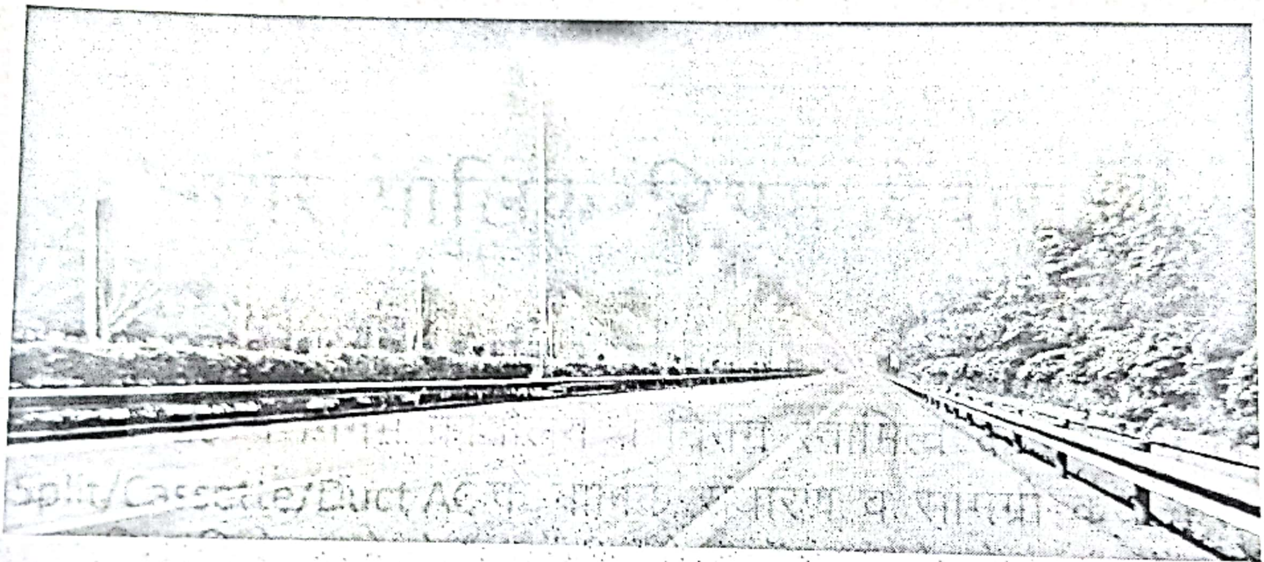

कार्यालय, नगर पालिक निगम देवास

(विद्युत शाखा)

मो. न. कार्यपालन यंत्री – 7898468458, सहायक यंत्री – 7024112320

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिक निगम,देवास

विद्युत शाखा

निविदा प्रपत्र

वर्ष 2025–26 में नगर निगम कार्यालय व निगम स्वामित्व के भवन में स्थापित Split/Cassette/Duct AC के वार्षिक संधारण व सामग्री कय कर स्थापित किए जाने हेतु एजेंसी इंपेनलमेंट करने हेतु नगर निगम देवास द्वारा इच्छुक कंपनी/फर्मो/ठेकेदारो से आधारित ई–टेण्डर माध्यम से ऑनलाईन दरें आमंत्रित की जाती है:–

कार्य का नाम	:	**नगर निगम कार्यालय व निगम स्वामित्व के भवन में स्थापित Split/Cassette/Duct AC के वार्षिक संधारण व सामग्री कय कर स्थापित किए जाने हेतु एजेंसी इंपेनलमेंट करने के संबंध में।**
कार्य की अनुमानित लागत	:	**राशि रू. 15,00,000.00**
अमानत राशि	:	**राशि रू. 45,000.00**
टेण्डर डाक्यूमेन्ट की लागत	:	**राशि रू. 2,000.00**
कार्य की समयावधि	:	**वर्ष 2025–26**

टेण्डर डाक्यूमेंट कय करने एवं बिड प्रस्तुत करने की दिनांक ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। पोर्टल में उल्लेखित दिनांक अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

निविदा ऑफर प्रस्तुतीकरण –

ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक निर्देश

सामग्री/कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी 'अनुसूची–1' में अंकित है। 'अनुसूची–1' अनुसार ऑनलाईन ऑफर/बिड प्रस्तुत की जावे। किसी अन्य आफर पर विचार नहीं किया जावेगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा प्रपत्र, प्रक्रिया, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावे, अन्यथा उनकी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा/आफर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है।

यह आफर ऑनलाईन दो लिफाफा पद्धति पर आधारित है।

प्रथम लिफाफा "ए" जिसमें :–

1. ऑनलाईन फार्म फीस की जमा की रसीद की स्केन प्रति।
2. अमानत राशि ऑनलाईन ई–पेमेंट के माध्यम से जमा की स्केन प्रति
3. वाणिज्यकर विभाग से जारी जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नंबर की स्केन प्रति।
4. आयकर पेन कार्ड की स्केन प्रति।
5. निविदाकार का तीन साल का औसत वित्तीय टर्न ओवर राशि रू. 3 लाख के सी.ए. द्वारा प्रमाणित दस्तावेज की स्केन प्रतियां।
6. निविदादाता द्वारा किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में किये गये समान कार्य का **कार्यानुभव प्रमाण/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र** की प्रति।
7. स्थापना पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्केन प्रति।
8. एफिडेविट (राशि रू. 100 के स्टाम्प पर)

द्वितीय लिफाफा "सी" में प्राईस/ऑफर बीड प्रस्तुत की जावे।

लिफाफे 'ए' में वांछित समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावेंगे। पृथक से व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से भेजे गये दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।

प्राईस बीड अर्थात लिफाफा 'सी' ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जावे। निर्धारित प्रारूप अंतर्गत ऑनलाईन दरें प्रस्तुत की जावे। लिफाफा 'ए' में दर के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया जावे अन्यथा टेण्डर निरस्त कर दिया जावेगा।

सर्वप्रथम लिफाफा "ए" खोला जावेगा। अपेक्षित रूप में अमानत राशि एवं दस्तावेज पाये जाने पर निगम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विश्लेषण पश्चात पात्र कंपनी/फर्म का लिफाफा "सी" खोला जावेगा। प्राप्त दस्तावेज और वित्तीय ऑफर के मूल्यांकन के आधार पर एजेन्सी का चयन किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

अनुबंध की अवधि –

अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं आगामी निविदा स्वीकृत होने तक की रहेगी एवं अनुबंध में होने वाला व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।

प्रस्ताव की वैधता –

प्राईस बीड खोली जाने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं आगामी निविदा स्वीकृत होने तक की अवधि के लिये प्रस्ताव वैध रहेगा। निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर निगम देवास के पास सुरक्षित है।

अमानत राशि –

निविदादाता प्रस्ताव के एक भाग के रूप में निर्धारित (ई.एम.डी.) अमानत राशि ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा जिसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में किया गया है। सफल निविदादाताओं द्वारा अनुबंध के समय वित्त एवं लेखा नियम 2018 अनुसार एकमुश्त 3 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि की एफ.डी.आर. जो आयुक्त, नगर पालिक निगम देवास के नाम से जमा की जाना होगी। अन्य निविदादाताओं की ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी, एवं स्वीकृत निविदादाता की EMD राशि, FDR राशि जमा कर अनुबंध किए जाने उपरांत व FDR राशि निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने उपरान्त प्रस्तुत देयक के साथ दी गई ग्यारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र या फर्म के लेटर हेड पर संचालन/संधारण की गई ग्यारंटी/वारंटी देने के उपरान्त ही वापसी योग्य होगी।

अमानत राशि (ई.एम.डी) की वापसी –

असफल निविदादाताओं की अमानत राशि अनुबंध संपादन के पश्चात निविदादाता के अनुरोध पर विभाग द्वारा वापसी योग्य होगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय एफ.डी.आर. प्रस्तुत करने पर वापसी योग्य होगी।

अमानत राशि निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से जब्त की जावेगी –

- निविदा प्रपत्र में उल्लेखित वैधता अवधि के पूर्व निविदादाता द्वारा अपना प्रस्ताव वापस लिया जाता है।
- निविदादाता अपने प्रस्ताव के स्पष्टीकरण के लिये निगम के अनुरोध का जवाब प्रस्तुत नहीं करता है।
- निविदादाता आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में असफल होता है, वास्तविक जानकारी छुपाई जाती है अथवा गैर उत्तरदायी रवैया पाया जाता है।
- सफल निविदादाता के मामले में वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।
- निविदादाता यदि कार्यादेश की समयावधि में कार्य नहीं करता है तो एफ.डी.आर. जब्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- यदि नगर निगम प्राधिकारी यह पाता है कि कार्य में निर्धारित समयावधि से अत्यधिक विलम्ब हो चुका है तो ठेका निरस्त करने की कार्यवाही के लिए आयुक्त के पास अधिकार सुरक्षित रहेंगे एवं परफार्मेंस सिक्योरिटी राजसात की जा सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

पात्रता योग्यता –

निविदादाता से निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों/मानदण्डों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। शर्तों/मानदण्डों को पूरा करने के लिए या इन शर्तों/मानदण्डों के समर्थन के लिये अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले निविदादाता को पूर्व मूल्यांकन के दौरान खारिज किया जा सकता है।

निरर्हता (डिसक्वालिफिकेशन) –

नगर पालिक निगम देवास को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदादाता को प्रस्ताव के मूल्यांकन के दौरान या किसी भी समय अयोग्य घोषित कर सकता है यदि –

निविदादाता द्वारा वांछित पात्रता दस्तावेज की पूर्ति में भ्रामक या झूठा अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। निविदादाता का किसी भी बैंक या सरकारी संस्था के द्वारा दिवालिया ब्लेक लिस्टेड घोषित न हो।

निविदादाता द्वारा ठीक से कार्य नही करने के कारण उससे कार्य वापस ले लिया गया हो या उसके द्वारा अधूरा कार्य छोड़ दिया गया हो या खराब प्रदर्शन रहा हो।

प्रस्ताव का मूल्यांकन –

निविदा में प्राप्त दस्तावेजों का परिक्षण प्रकाश विभाग के तकनिकी अधिकारियों द्वारा किया जावेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

प्रस्तावना राशि (ऑफर बिड)–

निविदादाता को निविदा प्रपत्र में सामग्री की प्रथक–प्रथक ऑनलाईन दरें प्रस्तुत करना होगी। दिये गये ऑफर की स्वीकृति एवं अनुबंध के उपरांत किन्ही भी परिस्थितियों जैसे – बाढ, भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदा, करों मे वृद्धि, श्रम परिस्थितियां आदि के आधार पर ऑफर में कोई बदलाव मान्य नही होगा तथा सशर्त ऑफर मान्य नही होगा। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम देवास के पास सुरक्षित होगा।

अनुबंध की समाप्ति–

स्वीकृत निविदादाता द्वारा सप्लाय की जाने वाली सामग्री का पर्यवेक्षण समय – समय पर आयुक्त, नगर पालिक निगम देवास या आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जावेगा यदि सप्लायर द्वारा निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम देवास को यह अधिकार होगा की वह सप्लायर को 7 दिवस का नोटिस देकर तथा सप्लायर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात अनुबंध समाप्त कर देवे तथा स्वीकृत दर पर अन्य संस्था/फर्म/व्यक्ति से सामग्री क्रय कर सकेगा जिसमें संबंधित सप्लायर को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

विवाद समाधान प्रक्रिया–

इस अनुबंध की संरचना एवं व्याख्या भारतीय कानून द्वारा शासित है। इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवादो का न्याय क्षेत्र देवास रहेगा।

Jsuachi

कार्यपालन यंत्री (विद्युत)
नगर पालिक निगम देवास

Scanned with OKEN Scanner